न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर ।
उपस्थितः– अनिल कुमार यादव–I (एच०जे०एस०)
सत्र परीक्षण सं0–331/2012
राज्य ..... प्रति .....1–मिठाईलाल यादव पुत्र महादेव यादव,
2–डी.एम पुत्र मिठाईलाल यादव,
3–मेवालााल पुत्र महानन्द,
4–अमरेश पुत्र महानन्द,
5–उदल पुत्र श्यामदेव,
निवासीगण तुलसीचक, थाना भदोही, जिला संतरविदास नगर।
मु0 अ 0 सं0–17/2012
धारा–302/149 भा०दं०सं०।
थाना–रामपुर, जिला जौनपुर।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले का विचारण मु0 अ 0 सं0–17/2012 अन्तर्गत धारा–302/34 भा०दं०सं० विरूद्ध अभियुक्तगण मिठाईलाल यादव, डी.एम. उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश व उदल थाना रामपुर, जौनपुर के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामराज यादव द्वारा थाना रामपुर, जिला जौनपुर में इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की कि प्रार्थी का लड़का शीतला प्रसाद यादव ग्राम शिवधन में सड़क के किनारे घर बनाकर उसी में चाय–पान व मीठा की दुकान करता है। दिनाँक 07.01.2012 को रात में करीब 10 बजे घर से खाना खाकर दुकान के लिए चला था। रास्ते में अम्बा सीमेण्ट फैक्ट्री के दक्षिण तरफ ग्राम शिवधन में पहुँचे थे कि वहीं पर उनकी निर्मम तरीके से हत्या करके लाश को क्षत–विक्षत कर दिया। सुबह मेरे लड़के राजेन्द्र व शिवशंकर घर से दूध लेकर दुकान पर शिधवन आये, तो दुकान बन्द थी। उन लोगों को हल्ला सुनाई दिया कि एक लाश रास्ते के बगल में पड़ी है। वे दोनों मौके पर गये कि देखे उनके भाई शीतला प्रसाद की लाश है। तब हमें भी सूचना दिये। मैं मौके पर आया। मेरे लड़के की हत्या पुरानी रंजिश को लेकर मेरे गाँव के मिठाईलाल यादव, डी.एम., मेवालाल, अमरेश व ऊदल ने की है। इन्हीं लोगों ने पूर्व में भी मेरे लड़के को वल्लम व गड़ासे से मारा था। मेरे लड़के का शव घटनास्थल पर पड़ा है। प्रार्थनापत्र लिखाकर लाया हूँ। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. वादी मुकदमा रामराज यादव द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रामपुर, जौनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०–17/2012 अन्तर्गत धारा– 302, 34 भा०दं०सं० अभियुक्तगण मिठाईलाल यादव, डी.एम, मेवालाल, अमरेश व उदल के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया और मामले की सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त सकंलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण मिठाईलाल यादव, डी.एम., मेवालाल, अमरेश व उदल के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा– 302, 34 भा०दं०सं० प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की गयी।

4. धारा 207 दं०प्र०सं० के अनुपालन के उपरान्त मामला सत्र परीक्षणीय होने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा दिनांक 15.10.2012 को अभियुक्तगण की पत्रावली सत्र न्यायालय उपार्पित की गयी।

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.04.06 16:58:44 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court
Jaunpur

5. दिनांक 17.07.2013 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण मिठाईलाल, डी.एम. उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश व ऊदल उर्फ राधेश्याम के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 302/149 भा०दं०सं० आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षी प्रस्तुत कराये गये है–

क्रमांक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी व अन्य साक्षी)**
1.	पी०डब्लू० 1 रामराज यादव	वादी मुकदमा (मृतक का पिता)
2.	पी०डब्लू० 2 राजेन्द्र यादव	(मृतक का भाई)
3.	पी०डब्लू० 3 विनोद कुमार यादव	मृतक का भतीजा
4.	पी०डब्लू० 4 किरण कुमार सिंह	विवेचक
5.	पी०डब्लू० 5 डा० आनन्द कुमार श्रीवास्तव	अन्त्य परीक्षक
6.	पी०डब्लू० 6 आशुतोष कुमार	विवेचक

अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। तद्नुसार अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

7. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये–

क्रम संख्या	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर
2.	प्रदर्श क–2	नक्शानजरी
3.	प्रदर्श क–3	पंचायतनामा
4.	प्रदर्श क–4	फोटोनाश
5.	प्रदर्श क–5	नमूना मोहर
6.	प्रदर्श क–6	मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित पत्र
7.	प्रदर्श क–7	पुलिस फार्म संख्या 13
8.	प्रदर्श क–8	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
9.	प्रदर्श क–9	आरोपपत्र

8. दिनांक 10.03.2026 को अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा गलत आरोप होने का कथन किया अभियोजन साक्षियों पी०डब्लू० 1 लगायत पी०डब्लू० 6 के बयान के सम्बन्ध में गलत बयान देने का कथन किया। अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा रजिशंन चलने का कथन किया। इसके अतिरिक्त सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए निर्दोष होने का कथन किया।

9. बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायालय सीजेएम भदोही ज्ञानपुर मु०अ०सं० 377 ए/2004 स्टेट बनाम रामराज आदि प्रथम सूचना रिपोर्ट मय चार्ज सीट, न्यायालय सत्र न्यायाधीश, भदोही, ज्ञानपुर मु०अ०सं० 377/2004 राज्य बनाम घल्ला यादव प्रथम सूचना रिपोर्ट मय चार्टसीट, नकल निर्णय दिनांक 31.01.2025 राज्य बनाम रामराज प्रसाद धारा 147, 148, 149, 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०, नकल निर्णय दिनांक 31.01.2025 राज्य बनाम घल्ला यादव व अन्य धारा 147, 148, 149, 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं थाना भदोही दाखिल किया गया है।

10. दौरान बहस अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 07.01.2012 को समय करीब 10 बजे शाम में वादी मुकदमा के पुत्र शीतला प्रसाद की हत्या की गयी। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित हैं। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जाए।

11. बचाव पक्ष की तरफ से तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से किसी चक्षुदर्शी साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभाष विद्यमान है। अभियोजन की ओर से कथित आलाकत्ल हरीस को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही दौरान विवेचना विवेचक द्वारा उसकी फर्द तैयार की गयी है। वादी द्वारा रंजिशन उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से घटना का कोई स्पष्ट मोटिव दर्शित नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप सन्देह से परे साबित नहीं होते। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

12. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, वादी तथा बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

13. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने वास्ते आरोपित अपराध को सन्देह से परे सिद्ध करने का दायित्व होता है।

अभियोजन के द्वारा पत्रावली पर उक्त दायित्व के निर्वहन में परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू01 वादी **रामराज यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे चार लड़के हैं। हरीशचन्द, राजेन्द्र, शिवशंकर व शीतला प्रसाद, जिसकी हत्या हुई। शीतला की शिवधन पेट्रोल टंकी के पास चाय–पान की दुकान थी। भदोही रामपुर मार्ग पर दुकान पश्चिमी पटरी पर थी। दुकान पर दिनभर काम करते थे और शाम को दुकान से घर चले जाते थे। दुकान बंद करके घर से खाना खाकर दुकान पर सोने के लिए फिर चले आते थे। दिन का खाना घर वाले पहुँचा देते थे। घटना दिनाँक 07.01.2012 को घर से मेरा लड़का शीतला 10 बजे रात खाना खाकर दुकान पर सोने चला गया। रास्ते में नाती विनोद कुमार ससुराल गये थे, वहाँ से आ रहे थे उसी रास्ते से, तो अपने चाचा को देखा। गांव के मिठाई लाल शीतला के पीछे कुछ दूरी पर दिखाई दिये। डीएम उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश, उदल उर्फ राधेश्याम को विनोद ने देखा कि पीछे से ये लोग जा रहे थे। अमरेश कन्धे पर हल लिया था। फिर वो चले गये। विनोद घर आये तो मुझसे बताया कि चाचा जी हमको मिले थे। कुछ दूरी के बाद उन लोगों को जाते देखा। नाम मिठाईलाल, डीएम उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश, उदल उर्फ राधेश्याम कन्धे पर अमरेश हल लिये था। हमने कहा कि जाओ सो जाओ कहीं वो लोग जा रहे होगे। सुबह 4.30 बजे भोर में शौच के लिये राजेन्द्र गये तो दो मोटरसाइकिल पर लाईट नहीं जल रही थी, टार्च चला कर देखा कि एक गाड़ी पर मिठाईलाल, ओमप्रकाश, मेवालाल एक दूसरी गाड़ी पर उदल के साथ जा रहे थे। मेरा लड़का राजेन्द्र घर पर आकर यह बताया। हमको शंका हुआ तो टार्च जलाकर देखा तो यह लोग कहीं भाग–दौड़ लगाये है। सुबह 8.30 बजे मेरे लड़के राजेन्द्र व शिवशंकर दूध लेकर दुकान गये तो वहाँ देखा कि दुकान बंद थी। यह लोग दुकान पर

पूछताछ किये तो कहा था कि एक आदमी की घटना हुई है। रास्ते की फैक्ट्री अम्बा के दक्षिण साइड सुना था कि एक लाश मंगला के खेत में पड़ी है। यह घटनास्थल रामपुर, जौनपुर में स्थित है। दोनों लोग जाकर देखे तो वहाँ लाश पड़ी है। कुछ दूरी के बाद उत्तर साइड खेत में हरीस पड़ा है फिर आकर हमारे घर पर खबर बताई कि शीतला की हत्या कर दिये है। फिर मुझको यह विश्वास हुआ कि यही पाँचों आदमी जाकर हरीस से निर्मम हत्या कर दिये। हम लोगों ने देखा बहुत भीड़ जुट गयी थी। लाश क्षत–विक्षत थी। इसके बाद मैंने दूसरे से दरख्वास्त लिखवाया क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा था। दरख्वास्त बोलकर लिखवाया और सुनकर दस्तख्त किया और ले जाकर करीब 12.30 बजे के बाद थाने पर दिया। आधा घण्टे के बाद वहाँ पर पुलिस आई घटना देखा पंचायतनामा लिखने को कहा कि पहले कुत्ता आ रहा है आकर के लाश को सूंघा जहाँ खून गिरा था, उसको सूंघा फिर कुत्ता मुल्जिमानों के सीधा घर पर 1.5 किमी० गया और कई घर छोड़ते हुए इन लोगों के पास पहुँच गया और इनारा पर चढ़कर घूमा फिर नीचे गिरा पानी सूंघकर उनके दरवाजे पर जाकर बैठ गया फिर कहीं नहीं गया तब हमको विश्वास हुआ कि यही पांचों लोग घटना किये थे। कुत्ते ने हल की हरीस को भी सूंघा था। कुत्ते के पहुँचने पर यह मालूम हुआ कि यही लोग निर्मम हत्या किये हैं। जहाँ लाश पड़ी थी, वहां पंचनामा किया गया। पंचनामा पर मेरी दस्तख्त कराया। गवाह ने तहरीर देखकर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया **प्रदर्श क–1** डाला गया।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू02 के रूप में **राजेन्द्र यादव** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं चार भाई हूँ। बड़े भाई का नाम हरिशचन्द्र, उसके बाद मैं हूँ तीसरे भाई शिवशंकर चौथे भाई शीतला प्रसाद, जो इस घटना के मृतक हैं। भदोही रामपुर मार्ग पर शिधवन पेट्रोल पम्प के पास मेरे छोटे भाई शीतला प्रसाद की चाय–पान व मिठाई की दुकान सड़क के पश्चिमी पट्टी पर थी। मेरा भाई शीतला दिनभर दुकान पर काम करते थे शाम को दुकान बन्द करके घर चले जाते थे और रात में खाना खाकर दुकान पर सोने के लिये चले जाते थे। घटना दिनाँक 07.01.2012 की है। मेरे भाई शीतला प्रसाद रोज की भांति खाना खाकर रात करीब 10 बजे प्रतिदिन की भांति सोने के लिये दुकान पर गये थे। दुकान पर सोने के लिये जा रहे थे कि सीमेंट फैक्ट्री के पश्चिम तरफ कोने पर पहुँचे थे। हमारे भतीजे उधर से आ रहे थे और फैक्ट्री के पश्चिम कोने पर मिला, दो बात बतियाया फिर आगे बढ़ा। पचास कदम घर के तरफ विनोद बढ़ा तो ये पाँच लोग दिखाई पड़े जिसमें मिठाईलाल, मेवालाल, राधेश्याम, ओमप्रकाश व अमरेश पीछे से कन्धे पर हल लेकर आ रहा था। शीतला प्रसाद के पीछे–पीछे आ रहा था फिर घर गया। विनोद पिता जी से कहने लगा कि पीछे–पीछे जा रहे थे। पाँचों मुल्जिमान तब हम सुबह उठे और शौच के लिये 4.30 बजे गये, यो लोग दो मोटरसाइकिल से अपने पश्चिम तरफ निकले और भदोही रामपुर मार्ग पर जा रहे थे। मोटरसाइकिल की लाइट नहीं जलाये थे। हमने टॉर्च मारा कि ये लोग मोटरसाइकिल की लाइट क्यों नहीं जलाये है। हमने टॉर्च मारकर देखा तो ये लोग इण्डीकेटर जलाये थे। तो हमने टॉर्च मारकर देखा तो तीन आदमी एक मोटरसाइकिल पर व दो आदमी एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पहले मोटरसाइकिल पर मेवालाल, राधेश्याम, अमरेश एक और मोटरसाइकिल पर मिठाईलाल व ओमप्रकाश बैठे थे। फिर हम दूसरे दिन 8 तारीख को दूध लेकर दुकान पर समय 8 बजे दिन में गया तो देखा कि दुकान बन्द है फिर अगल–बगल एक दो लोग से पूछा बोले भाई शीतला प्रसाद दिखाई दिये, तो वे बोले नहीं। फिर दुकान पर हल्ला होने लगा कि एक आदमी अम्बा सिमेण्ट फैक्ट्री के पास मारकर फेका गया है। मैं सुना तो, वहाँ पहुँचा गया फिर शिवशंकर भाई भी आ गये हम दोनों भाई जाकर देखे तो हमारे भाई शीतला की लाश थी। मेरे भाई शीतला को बेरहमी से हल से मारा गया था, तब मैं लाश के पास बैठ गया और शिवशंकर को घर भेजा पिता को खबर दिया, पिता जी मौके पर आये जो देखे फिर पिता जी थाने पर जाकर लिखित दरख्वास्त दिये, तब दरोगा जी मौके पर आये फिर दरोगा जी बोले कुत्ता आ रहा है, दो–ढाई घण्टे बाद कुत्ता आया लाश को सूंघा जहाँ–जहाँ खून गिरा था, वहाँ–वहाँ सूंघा व बगल में रखे हल को भी सूंघा। कुत्ता सूंघकर वहाँ से डेढ़ किमी० घर के तरफ चला गया। आठ दस घर छोड़कर मुल्जिमान के घर पहुँचा, जहाँ ये लोग हाथ गोड़ धो रहे थे कुंए पर चढ़ गया सूंघ कर

जहाँ–जहाँ पानी गिरा था सूंघकर कुंआ पर बैठ गया फिर कुंए पर से उठा कुत्ता और मुल्जिमानों के दरवाजे पर बैठ गया। दरोगा जी को मालूम हो गया कि यही लोग काण्ड किये है। दरोगा जी ने मौके पर पंचायतनामा बनाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। मुझे विश्वास है कि मेरे भाई की हत्या मुल्जिमान मिठाईलाल, मेवालाल, ओमप्रकाश, राधेश्याम व अमरेश ने किया है।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू03 के रूप में **विनोद कुमार यादव** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि रामराज मेरे दादा लगते है। हरिशचन्द्र उर्फ महेन्दर मेरे पिता है। मेरे पिता कुल चार भाई हैं। पहला हरिशचन्द्र उर्फ महेन्दर यादव, राजेन्दर यादव, शिवशंकर यादव व शीतला प्रसाद यादव है। इस मुकदमें के मृतक शीतला प्रसाद यादव है। शीतला प्रसाद मृतक की शिधवन पेट्रोल पंप के पास चायपान व मीठा की दुकान थी। शीतला प्रसाद दिनभर दुकान पर काम करते थे और शाम को दुकान बन्द करके घर चले जाते थे और घर पर काना खाकर रोज की तरह दुकान चले जाते थे। शीतला प्रसाद दुकान पर सो जाते थे। दिन का खाना घर वाले पहुँचा जाते थे। मुल्जिमान मिठाईलाल, डी.एम. उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल,ऊदल उर्फ राधेश्याम व अमरेश ये लोग हमारे गाँव के है। इन लोगों से हमारी पुरानी दुश्मनी चल रही है। मिठाईलाल व उनके परिवार से हमारे परिवार से बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है। खेत व बगीचा को लेकर कब्जा करने की बात को लेकर सन् 2004 में मारपीट हुई थी। उस समय मिठाईलाल और उनके परिवार के दस लोगों ने मिलकर मेरे दादा रामराज, मेरे चाचा राजेन्दर, शिवशंकर व मेरे भाई दिनेश को बुरी तरह से बल्लम डण्डा आदि से जान से मारने की नीयत से मारे। उसका मुकदमा भदोही में चल रहा है। यह घटना दिनाँक 7/8.01.2012 की रात की है। मैं 7 जनवरी, 2012 को अपनी ससुराल ग्राम दहुआ गया था। उसी दिन रात करीब 10 बजे मैं अपनी ससुराल से लौट रहा था। अम्बा सिमेन्ट फैक्ट्री के बगल वाले रास्ते से अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहा था, जब मैं आया सीमेण्ट फैक्ट्री के पास पश्चिम–दक्षिण कोने के पास पहुँचा घर की ओर आते हुए मेरे चाचा शीतला प्रसाद मिले थे और गाड़ी रोककर दुकान के सम्बन्ध में बात–चीत किये मेरे चाचा प्रायः रात में दुकान पर ही सोते थे। मैं अपने चाचा से बात–चीत करके अपने घर चला गया और चाचा शीतला प्रसाद दुकान पर चले गये। अपने चाचा को छोड़ने के बाद करीब 50 कदम आगे बढ़ा था कि देखा कि मेरे चाचा के पीछे मेरे गाँव के मिठाई लाल, डीएम उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, ऊदल उर्फ राधेश्याम व अमरेश को चाचा के पीछे जाते हुए देखा। अमरेश अपने कन्धे पर हल लिया था। ये लोग मुझे देखकर कुछ घबरा गये, किन्तु मैं समझ नहीं पाया। सुबह दादा रोते हुए घर आये और बताये शीतला प्रसाद की हत्या हो गयी है और उसकी लाश अम्बा सिमेन्ट फैक्ट्री के बगल में पड़ी है। इतना सुनते ही मुझे रात वाली पूरी घटना याद आयी और अपने घर वालों तथा दादा रामराज को मुल्जिमान को देखने वाली बात व चाचा के पीछे जाने वाली बात बताया था। तब मेरे दादा रामराज ने इस घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखाई थी। मौके पर पुलिस आयी थी और पुलिस विभाग की कुतिया भी आयी थी, कुतिया मेरे चाचा की लाश को सूंघा था व हरीस को सूंघा था और गमछा सूंघा था, जहाँ–जहाँ खून गिरा था, उसे भी सूंघा था तथा 1.5 किमी० चलकर कई घरों को छोड़ते हुए मुल्जिमान के कुंए पर गयी थी। कुंए पर जहाँ पानी गिरा था, उसे सूंघ कर मुल्जिमान के बरामदे में जाकर बैठ गयी, तब हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि इन्हीं पाँचों लोगों ने मेरे चाचा की हत्या की है। आधी रात को कुंए पर मुल्जिमान को नहाते हुए मेरे छोटे भाई अनिल ने देखा था और मेरे चाचा राजेन्द्र ने भोर में मुल्जिमान को मोटरसाइकिल से भाग–दौड़ करते हुए देखा था। गाँव में हमारी अन्य किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने घटनास्थल पर जाकर अपने चाचा की लाश देखा था। मेरे चाचा की जबड़े की हड्डी टूट गयी गयी थी और खोपड़ी की हड्डियां और जबड़े की हड्डियां टूटकर विखरे पड़े थे। लाश के कुछ दूर पर लकड़ी की हरीश विखरी पड़ी थी। हरीश पर खून लगा था। हरीश पर फाल नहीं लगा था। लाश के धड़ के ऊपर माँस का लोथड़ा में तब्दील हो गया था। सीने की हड्डियां दिखाई पड़ रही थी। काफी मात्रा में खून गिरा था। आस–पास की घास व गोबर की उपली कुचली हुई थी। मेरे चाचा को मुल्जिमान ने बहुत ही बेरहमी से मारा था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था और मुझसे पूछताछ किया था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू04 के रूप में **किरण कुमार सिंह (विवेचक)** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनाँक 08.01.2012 को मैं थानाध्यक्ष रामपुर, जनपद जौनपुर के पद पर नियुक्त था। उस दिन मु०अ०सं०–17/2012 अन्तर्गत धारा 302/34 भा०दं०सं थाना रामपुर का मुझ थानाध्यक्ष की अदम मौजूदगी में समय करीब 12.30 पी.एम. पर वादी मुकदमा श्रीरामराज यादव की लिखित तहरीर पर विरुद्ध मिठाईलाल आदि की कुल पाँच नफर पंजीकृत होकर नकल चिक, नकल रपट वास्ते विवेचना उपनिरीक्षक श्री लक्ष्मण राम के द्वारा घटनास्थल पर मुझे प्राप्त हुआ था। दिनाँक 08.01.2012 को पर्चा 1 किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, व नकल पंचायतनामा बयान वादी अंकित किया तथा घटनास्थल से खून आलूदा सादी मिट्टी बाजाफ्ता कब्जे में लिया गया था, जिसके पश्चात् घटना से सम्बन्धित आलाकत्ल का दूसरा भाग ग्राम धरोहरा स्थित राधेश्याम दूबे के घर के बगल से बरामद किया गया था। जिसके पश्चात् नामजद अभियुक्तों के घरों पर दबिश की कार्यवाही की गयी थी। किसी के मौजूद न मिलने से मुखबिर खास मामूर किया गया था। दिनाँक 09.01.2012 को पर्चा 2 किता किया गया था। जिसमें वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण एवं 2 समई गवाहों का बयान दर्ज किया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण करके उसका एक मानचित्र अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया। जो शामिल पत्रवाली मेरे सामने है, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। दिनाँक 10.01.2012 को पर्चा 3 किता किया गया। जिसके तहत नामजद अभियुक्त अमरेश को शिधवन चौराहे के पास से बाजाफ्ता गिरफ्तार कर बयान लेकर न्यायालय रवाना किया गया था। दिनाँक 12.01.2012 को पर्चा 4 के अन्तर्गत अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु इनके घरों एवं अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी। दिनाँक 15.01.2012 को पर्चा 5 के अन्तर्गत शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश एवं मौजूद न मिलने पर इनके विरुद्ध एन०बी०डब्लू० जारी करने हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रतिवेदन दिया गया। दिनाँक 20.01.2012 को पर्चा 6 के अन्तर्गत अभियुक्तगणों के विरुद्ध जारी एन०बी०डब्लू० के तामीला हेतु घर एवं संभावित स्थानों पर दबिश के बाद गवाह राजेन्द्र व विनोद का बयान लिया तथा घटना के दिन घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड तथा फिल्ट यूनिट के कार्यों का ट्रैक रिपोर्ट अंकित किया। दिनाँक 16.02.2012 को पर्चा 7 में मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नकल एवं मजीद बयान वादी तथा वादी मुकदमा से प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यों को संलग्न किया, जिसके बाद चश्मदीद गवाह अनिल यादव का बयान अंकित किया। दिनाँक 13.03.2012 पर्चा 8 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी घर एवं अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी। दिनाँक 20.03.2012 को पर्चा 9 किता किया, जिसमें अभियुक्तगण के ठिकानों पर दबिश दी गयी। दिनाँक 05.04.2012 को पर्चा 10 किता किया, जिसमें अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी का प्रयास एवं न मिलने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध 82 की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। दिनाँक 06.04.2012 को अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी 82 दं०प्र०सं० के आदेश का तामीला किया गया। दिनांक 08.01.2012 को मृतक शीतला प्रसाद यादव पुत्र रामराज यादव के शव का पंचायतनामा एस.आई. रामसूरत यादव से घटनास्थल पर मौजूद मृतक के परिजनों में से पंचान नियुक्त करके पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ किया। पंचायतनामा मेरे बोलने पर एस.आई. रामसूरत द्वारा तैयार किया गया। पंचायतनामा पर पंचान की राय तथा शव का पूरा विवरण चोट का विवरण तथा अपनी राय अंकित कराया था तथा बाद पचायतनामा हमराही कां ओम जी राय व पवन द्विवेदी तथा पचान के हस्ताक्षर अंकित कराये थे। मैंने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। दौरान पंचायतनामा उससे सम्बन्धित प्रपत्र फोटोनाश, नमूना मोहर पत्र सी.एम.ओ, पुलिस फार्म 13 तैयार कराया था। जिस पर अपना हस्ताक्षर अंकित किया था। उक्त पंचायतनामा व उससे सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध पत्रावली मेरे सामने है। जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–3 लगायत प्रदर्श क–7** डाला गया। दौरान पंचायतनामा शव को सफेद कपड़े में सील कर सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया था। शव बाद पंचायतनामा शव व उससे सम्बन्धित समस्त प्रपत्र हमराही कां० ओम जी राय व पवन कुमार द्विवेदी को शवविच्छेदन हेतु सुपुर्द किया था। उक्त पंचायतनामा दिनांक 08.01.2012 को 13.15 पर घटनास्थल पर तैयार किया था जो

08.01.2012 को 15.30 पर समाप्त किया था। दिनांक 06.04.2012 को शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय सी.जेएम. महोदय के द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2012 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 82 दं०प्र०सं० का आदेश प्राप्त हुआ। अभियुक्तगण के घरों पर पहुंचकर समक्ष गवाहन 82 सीआरपीसी का तामीला किया गया तथा नोटिस पर गवाहों के हस्ताक्षर बनावाये गये। उसके बाद मेरा हस्तांतरण हो गया।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू05 के रूप में **डा० आनन्द कुमार श्रीवास्तव** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 09.01.2012 को मेरी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार पोस्टमार्टम में लगी थी। अपरान्ह 3.30 pm पर पुलिस कां० ओमजी राय तथा पवन कुमार द्विवेदी, थाना रामपुर द्वारा मृतक शीतला प्रसाद यादव का शव थानाध्यक्ष रामपुर द्वारा सीलबंद कपड़े में भेजा गया था। मृतक की मृत्यु करीब दो दिन पूर्व की थी।

बाह्य परीक्षण– मृतक की शव का पहचान सम्बन्धित पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया था। शरीर औसत कद काठी का था। सिर गला और कन्धा कुचला हुआ था। चमड़ी व मांस गायब थे। हड्डियां दिख रही थी। खोपड़ी व जबड़े की हड्डियां टुकड़ो में थी। सीने के ऊपर चमड़ी गायब थी तथा गले पर जानवर के काटने का निशान था। लैनिंग्स, पसली और आन्तरिक अंग बाहर दिख रहा थे।

मृत्यु पूर्व चोटे- सिर कुचला हुआ था तथा मस्तिष्क बाहर दिख रहा था। सिर और जबड़े की हड्डियां टुकड़ों में थी। सीने, कन्धे व गले पर चमड़ी व मांस गायब थे। हड्डियां दिख रही थी। सांस की नली खुली हुई थी। शरीर पर निम्न वस्त्र थे। शरीर पर खून से सना हुआ जैकेट, कमीज, बनियान, फुल पैन्ट, अण्डरवियर, टूटी हुई घड़ी तथा लाल धागा, सभी को अदद समान सील बन्द थैले में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया।

आन्तरिक परिक्षण– सिर व मस्तिष्क कुचले हुए ते तथा चेहरा भी घायल हुआ था। पेट में ढाई सौ ग्राम अधपचा खाना मौजूद था जिसमें चावल की पहचान हो पा रही थी। सभी आन्तरिक अंग पीले पड़े थे। हृदय के दोनों कक्ष खाली थे। छोटी आंत तथा बड़ी आंत में गैस व मल मौजूद था। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर मृतक की मृत्यु रक्तस्त्राव के फलस्वरूप शॉक व कोमा के कारण हुई थी। जोकि सिर पर लगी मृत्यु पूर्व चोटों के कारण हुई थी। दौरान शव विच्छेदन, शव विच्छेने आख्या मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। उक्त शव विच्छेदन आख्या उपलब्ध पत्रावली मेरे सामने है जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। बाद शव विच्छेदन, शव, शव से प्राप्त कपड़े, शव के साथ लाये गये उससे सम्बन्धित समस्त प्रपत्र तथा शव विच्छेदन आख्या शव लाने वाले सिपाहियो को सौंप दिया था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू06 के रूप में **आशुतोष कुमार तिवारी (विवेचक)** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनाँक 18.04.2012 को थाना रामपुर, जौनपुर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। मेरे द्वारा मु०अ०सं० 17/2012 अन्तर्गत धारा 302/34 भा०दं०सं थाना रामपुर, जौनपुर की विवेचना ग्रहण करते हुए पूर्व के पर्चा नं० 8 का अवलोकन करते हुए पर्चा नं०–12 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दबिश का अंकन है। दिनाँक 24.04.2012 को पर्चा नं०–13 किता किया गया। मेवालाल व राधेश्याम को न्यायालय के समक्ष समर्पण का पर्चा किता किया गया। दिनाँक 28.04.2012 को पर्चा 14 किता किया गया। जिसमें बयान अभियुक्तगण मिठाई लाल यादव, डी.एम., मेवालाल व उदल के बयान न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर जिला कारागार जौनपुर में पहुँचकर बयान दर्ज किया गया। दिनाँक 04.05.2012 को पर्चा 15 किता किया गया, जिसमें पंचनामा के गवाह रामराज यादव, शिवशंकर यादव, सुरेश यादव, इन्द्रजीत यादव व रमेश यादव का बयान अंकित किया गया। इसी पर्चा में पी.एम. कर्ता डॉ० आनन्द कुमार श्रीवास्तव का बयान अंकित किया गया। पूर्व थाना प्रभारी व पंचायतनामा कर्ता के.के. सिंह का बयान अंकित किया गया। फील्ड यूनिट प्रभारी प्रमोद कुमार का भी बयान अंकित किया गया। दिनाँक 06.05.2012 को पर्चा 16 किता किया गया, जिसमें कॉ० ओम जी राय व कॉ० पवन कुमार द्विवेदी के बयान अंकित किये गये।

एफ.आई.आर. लेखक कॉ० खुनखुन राम का बयान दर्ज किया गया तथा स्वान दल प्रभारी मनोज कुमार यादव के बयान दर्ज किये गये तथा मुकदमा उपरोक्त के तमामी विवेचना के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये। आरोपपत्र उपलब्ध पत्रवाली मेरे सामने है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। दिनाँक 08.05.2012 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भवन परीक्षण हेतु प्रेषित आरक्षी द्वारा दाखिल सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी नकल अकिंत की गयी। विवेचनोपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयानात के आधार पर अभियुक्तगण मिठाईलाल, डी.एम., मेवालाल, अमरेश व उदल के विरूद्ध जुर्म धारा 302 भा०दं०सं का अपराध साबित पाते हुए चालान जरिये आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया था।

14. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण मिठाईलाल, डी.एम. उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश व ऊदल उर्फ राधेश्याम के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 302/149 भा०दं०सं० को साबित करने के लिए यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में वादी मुकदमा रामराज यादव के पुत्र शीतला प्रसाद की मारपीट कर हत्या कारित की गयी।

15. जहां तक अभियुक्तगण मिठाईलाल, डी.एम. उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश व ऊदल उर्फ राधेश्याम पर लगाये गए आरोप अन्तर्गत धारा 302/149 भा०दं०सं० का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण पर लगाये गये उक्त आरोप को साबित करने के लिए तथ्य के साक्षी के रूप में कुल 03 साक्षी पी०डब्लू० 1 रामराज (वादी मुकदमा), पी०डब्लू० 2 राजेन्द्र यादव व पी०डब्लू० 3 विनोद कुमार यादव को परीक्षित कराए गए है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू01 रामराज यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे चार लड़के हैं। हरीशचन्द, राजेन्द्र, शिवशंकर, निर्मल व शीतला प्रसाद, जिसकी हत्या हुई। शीतला की शिवधन पेट्रोल टंकी के पास चाय–पान की दुकान थी। भदोही रामपुर मार्ग पर दुकान पश्चिमी पटरी पर थी। दुकान पर दिनभर काम करते थे और शाम को दुकान से घर चले जाते थे। दुकान बंद करके घर से खाना खाकर दुकान पर सोने के लिए फिर चले आते थे। घटना दिनाँक 07.01.2012 को घर से मेरा लड़का शीतला 10 बजे रात खाना खाकर दुकान पर सोने चला गया। रास्ते में मेरा नाती विनोद कुमार जो ससुराल गये थे, वहाँ से आ रहे थे तो उसने अपने चाचा को देखा। विनोद ने देखा कि गांव के मिठाई लाल शीतला, डीएम उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश, उदल उर्फ राधेश्याम पीछे से जा रहे थे। अमरेश कन्धे पर हल लिया था। फिर वो चले गये। **विनोद घर आये तो मुझसे बताया कि चाचा जी हमको मिले थे। कुछ दूरी के बाद मिठाईलाल, डीएम उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश, उदल उर्फ राधेश्याम को देखा तथा अमरेश कन्धे पर हल लिया था। हमने कहा कि जाओ सो जाओ कहीं वो लोग जा रहे होगे।** सुबह 4.30 बजे भोर में शौच के लिये राजेन्द्र गये तो दो मोटरसाइकिल पर लाईट नहीं जल रही थी, टार्च चला कर देखा कि एक गाड़ी पर मिठाईलाल, ओमप्रकाश, मेवालाल एक दूसरी गाड़ी पर उदल के साथ जा रहे थे। मेरा लड़का राजेन्द्र घर पर आकर यह बताया। हमको शंका हुआ तो टार्च जलाकर देखा तो यह लोग कहीं भाग–दौड़ लगाये है। सुबह 8.30 बजे मेरे लड़के राजेन्द्र व शिवशंकर दूध लेकर दुकान गये तो वहाँ देखा कि दुकान बंद थी। यह लोग दुकान पर पूछताछ किये तो कहा था कि एक आदमी की घटना हुई है। रास्ते की फैक्ट्री अम्बा के दक्षिण साइड सुना था कि एक लाश मंगला के खेत में पड़ी है। यह घटनास्थल रामपुर, जौनपुर में स्थित है। दोनों लोग जाकर देखे तो वहाँ लाश पड़ी है। कुछ दूरी के बाद उत्तर साइड खेत में हरीस पड़ा है फिर आकर हमारे घर पर खबर बताई कि शीतला की हत्या कर दिये है। फिर मुझको यह विश्वास हुआ कि यही पाँचों आदमी जाकर हरीस से निर्मम हत्या कर दिये। आधा घण्टे के बाद वहाँ पर पुलिस आई घटना देखा पंचायतनामा लिखने को कहा कि पहले कुत्ता आ रहा है आकर के लाश को सूंघा जहाँ खून गिरा था, उसको सूंघा फिर कुत्ता मुल्जिमानों के सीधा घर पर 1.5 किमी० गया और कई घर छोड़ते हुए इन लोगों के पास पहुँच गया और इनारा पर चढ़कर घूमा फिर नीचे

गिरा पानी सूंघकर उनके दरवाजे पर जाकर बैठ गया फिर कहीं नहीं गया तब हमको विश्वास हुआ कि यही पांचों लोग घटना किये थे। कुत्ते ने हल की हरीस को भी सूंघा था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू02 राजेन्द्र यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि भदोही रामपुर मार्ग पर शिधवन पेट्रोल पम्प के पास मेरे छोटे भाई शीतला प्रसाद की चाय–पान व मिठाई की दुकान सड़क के पश्चिमी पट्टी पर थी। मेरा भाई शीतला दिनभर दुकान पर काम करते थे शाम को दुकान बन्द करके घर चले जाते थे और रात में खाना खाकर दुकान पर सोने के लिये चले जाते थे। घटना दिनाँक 07.01.2012 की है। मेरे भाई शीतला प्रसाद रोज की भांति खाना खाकर रात करीब 10 बजे प्रतिदिन की भांति सोने के लिये दुकान पर गये थे। दुकान पर सोने के लिये जा रहे थे कि सीमेंट फैक्ट्री के पश्चिम तरफ कोने पर पहुँचे थे। हमारे भतीजे उधर से आ रहे थे और फैक्ट्री के पश्चिम कोने पर मिला फिर दो बात बतियाया फिर आगे बढ़ा पचास कदम घर के तरफ विनोद बढ़ा तो ये पाँच लोग दिखाई पड़े जिसमें मिठाईलाल ने बताया, राधेश्याम, ओमप्रकाश व अमरेश पीछे से कन्धे पर हल लेकर आ रहे थे। शीतला प्रसाद के पीछे–पीछे आ रहा था फिर घर गया। विनोद पिता जी से कहने लगा कि पीछे–पीछे जा रहे थे पाँचों मुल्जिमान। हम सुबह उठे और शौच के लिये 4.30 बजे गये, यो लोग दो मोटरसाइकिल से अपने पश्चिम तरफ निकले और भदोही रामपुर मार्ग पर जा रहे थे। मोटरसाइकिल की लाइट नहीं जलाये थे। हमने टॉर्च मारा कि ये लोग मोटरसाइकिल की लाइट क्यों नहीं जलाये है। हमने टॉर्च मारकर देखा तो ये लोग इण्डीकेटर जलाये थे। तो हमने टॉर्च मारकर देखा तो **तीन आदमी एक मोटरसाइकिल पर व दो आदमी एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पहले मोटरसाइकिल पर मेवालाल, राधेश्याम, अमरेश एक और मोटरसाइकिल पर मिठाईलाल व ओमप्रकाश बैठे थे।** फिर हम दूसरे दिन 8 तारीख को दूध लेकर दुकान पर समय 8 बजे दिन में गया तो देखा कि दुकान बन्द है फिर अगल–बगल एक दो लोग से पूछा बोले भाई शीतला प्रसाद दिखाई दिये, तो वे बोले नहीं। फिर दुकान पर हल्ला होने लगा कि एक आदमी अम्बा सीमेण्ट फैक्ट्री के पास मारकर फेंका गया है। मैं सुना तो, वहाँ पहुँचा गया फिर शिवशंकर भाई भी आ गये हम दोनों भाई जाकर देखे तो हमारे भाई शीतला की लाश थी। मेरे भाई शीतला को बेरहमी से हल से मारा गया था, तब मैं लाश के पास बैठ गया और शिवशंकर को घर भेजा पिता को खबर दिया। दो–ढाई घण्टे बाद कुत्ता आया लाश को सूंघा जहाँ–जहाँ खून गिरा था, वहाँ–वहाँ सूंघा व बगल में रखे हल को भी सूंघा। कुत्ता सूंघकर वहाँ से डेढ़ किमी० घर के तरफ चला गया। आठ दस घर छोड़कर मुल्जिमान के घर पहुँचा, जहाँ ये लोग हाथ गोड़ धो रहे थे कुंए पर चढ़ गया सूंघ कर जहाँ–जहाँ पानी गिरा था सूंघकर कुंआ पर बैठ गया फिर कुंए पर से उठा कुत्ता और मुल्जिमानों के दरवाजे पर बैठ गया।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू03 विनोद कुमार यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि शीतला प्रसाद मृतक की शिधवन पेट्रोल पंप के पास चायपान व मीठा की दुकान थी। शीतला प्रसाद दिनभर दुकान पर काम करते थे और शाम को दुकान बन्द करके घर चले जाते थे और घर पर खाना खाकर रोज की तरह दुकान चले जाते थे। शीतला प्रसाद दुकान पर सो जाते थे। दिन का खाना घर वाले पहुँचा जाते थे। मुल्जिमान मिठाईलाल, डी.एम. उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल,ऊदल उर्फ राधेश्याम व अमरेश ये लोग हमारे गाँव के है। इन लोगों से हमारी पुरानी दुश्मनी चल रही है। मिठाईलाल व उनके परिवार से हमारे परिवार से बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है। खेत व बगीचा को लेकर कब्जा करने की बात को लेकर सन् 2004 में मारपीट हुई थी। उस समय मिठाईलाल और उनके परिवार के दस लोगों ने मिलकर मेरे दादा रामराज, मेरे चाचा राजेन्दर, शिवशंकर व मेरे भाई दिनेश को बुरी तरह से बल्लम डण्डा आदि से जान से मारने की नीयत से मारे। उसका मुकदमा भदोही में चल रहा है। यह घटना दिनाँक 7/8.01.2012 की रात की है। मैं 7 जनवरी, 2012 को अपनी ससुराल ग्राम दहुआ गया था। उसी दिन रात करीब 10 बजे मैं अपनी ससुराल से लौट रहा था। अम्बा सिमेन्ट फैक्ट्री के बगल वाले रास्ते से अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहा था, जब मैं आया सीमेण्ट फैक्ट्री के पास पश्चिम–दक्षिण कोने के पास पहुँचा

घर की ओर आते हुए मेरे चाचा शीतला प्रसाद मिले थे और गाड़ी रोककर दुकान के सम्बन्ध में बात–चीत किये मेरे चाचा प्रायः रात में दुकान पर ही सोते थे। मैं अपने चाचा से बात–चीत करके अपने घर चला गया और चाचा शीतला प्रसाद दुकान पर चले गये। अपने चाचा को छोड़ने के बाद करीब 50 कदम आगे बढ़ा था कि गाँव के मिठाई लाल, डीएम उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, ऊदल उर्फ राधेश्याम व अमरेश को चाचा के पीछे जाते हुए देखा। अमरेश अपने कन्धे पर हल लिया था। ये लोग मुझे देखकर कुछ घबरा गये, किन्तु मैं समझ नहीं पाया। सुबह दादा रोते हुए घर आये और बताये शीतला प्रसाद की हत्या हो गयी है और उसकी लाश अम्बा सिमेन्ट फैक्ट्री के बगल में पड़ी है। इतना सुनते ही मुझे रात वाली पूरी घटना याद आयी और अपने घर वालों तथा दादा रामराज को मुल्जिमान को देखने वाली बात व चाचा के पीछे जाने वाली बात बताया था। तब मेरे दादा रामराज ने इस घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखाई थी। मौके पर पुलिस आयी थी और पुलिस विभाग की कुतिया भी आयी थी, कुतिया मेरे चाचा की लाश को सूंघा था व हरीस को सूंघा था और गमछा सूंघा था, जहाँ–जहाँ खून गिरा था, उसे भी सूंघा था तथा 1.5 किमी० चलकर कई घरों को छोड़ते हुए मुल्जिमान के कुंए पर गयी थी। कुंए पर जहाँ पानी गिरा था, उसे सूंघ कर मुल्जिमान के बरामदे में जाकर बैठ गयी, तब हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि इन्हीं पाँचों लोगों ने मेरे चाचा की हत्या की है। आधी रात को कुंए पर मुल्जिमान को नहाते हुए मेरे छोटे भाई अनिल ने देखा था और मेरे चाचा राजेन्दर ने भोर में मुल्जिमान को मोटरसाइकिल से भागा–दौड़ करते हुए देखा था।

उक्त अभियोजन साक्षियों के द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों से यह स्पष्ट है कि किसी भी साक्षी ने अपनी आंखों से अभियुक्तगण को मृतक शीतला की हत्या करते हुए नहीं देखा है। अभियोजन साक्षियों के अनुसार साक्षी पी०डब्लू० 3 विनोद ने अपने ससुराल से लौटते हुए रास्ते में अभियुक्तगण को मृतक के पीछे जाते हुए देखा था। साक्षी पी०डब्लू० 3 के बताने के आधार पर शेष अभियोजन साक्षियों की ओर से इसी प्रकार के कथन किये गये है। मैं अपने चाचा से बात–चीत करके अपने घर चला गया और चाचा शीतला प्रसाद दुकान पर चले गये। अपने चाचा को छोड़ने के बाद करीब 50 कदम आगे बढ़ा था कि गाँव के मिठाई लाल, डीएम उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, ऊदल उर्फ राधेश्याम व अमरेश को चाचा के पीछे जाते हुए देखा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण शुरू में मृतक शीतला प्रसाद से काफी पीछे थे। साक्षी द्वारा मृतक शीतला प्रसाद से बातचीत करके चलने पर पचास कदम आगे बढ़ने पर अभियुक्तगण को देखने का कथन किया है। अभियुक्तगण द्वारा हल लेकर इतनी दूर से पीछा किया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है। साक्षी पी०डब्लू० 1 रामराज ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि विनोद घर आये तो मुझसे बताया कि चाचा जी हमको मिले थे। कुछ दूरी के बाद मिठाईलाल, डीएम उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश, उदल उर्फ राधेश्याम को देखा तथा अमरेश कन्धे पर हल लिया था। हमने कहा कि जाओ सो जाओ कहीं वो लोग जा रहे होगे। इसी तरह का कथन अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में पेज संख्या 4 पर किये है। साक्षी का कथन है कि मैंने अपने घर वालों को तथा दादा रामराज को मुल्जिमान को देखने वाली बात व चाचा के पीछे जाने वाली बात बताया था तब मेरे दादा रामराज ने इस घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखायी थी। साक्षी द्वारा उक्त कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 विनोद ने अभियुक्तगण को मृतक शीतला के पीछे जाते हुए देखे जाने वाली बात दिनांक 07.01.2012 को ही रात में वादी रामराज को बतायी थी। उल्लेखनीय है कि वादी रामराज के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.01.2012 को समय 12.30 बजे पंजीकृत करायी गयी है। तहरीर में वादी रामराज ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है। तहरीर में वादी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तगण ने पूर्व में भी मेरे लड़को को बल्लम व गड़ासे से मारा था। यदि विनोद द्वारा रात में ही वादी रामराज को इस तथ्य से अवगत कराया गया होता तो वादी इस तथ्य का उल्लेख अपने तहरीर में अवश्य करता। वादी रामराज के द्वारा विवेचक को दिये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में भी इस आशय का कोई कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादी रामराज द्वारा मुख्य परीक्षा में किया गया कथन कि विनोद घर आये तो मुझसे बताया कि चाचा जी हमको

मिले थे। कुछ दूरी के बाद मिठाईलाल, डीएम उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश, उदल उर्फ राधेश्याम को देखा तथा अमरेश कन्धे पर हल लिया था। हमने कहा कि जाओ सो जाओ कहीं वो लोग जा रहे होगे, संदिग्ध हो जाता है। साक्षी पी०डब्लू० 3 विनोद ने जिरह के दौरान पेज संख्या 9 पर यह कथन किया है कि यह बात सही है कि घटना की रात काफी कोहरा पड़ रहा था और ठण्डक बहुत अधिक पड़ रही थी। **कोहरा ज्यादा पड़ने से कुछ दिखायी नहीं दे रहा था। बाहर निकलना मुश्किल था।** ऐसी स्थिति में साक्षी द्वारा किया गया यह कथन कि उसने अभियुक्तगण को शीतला के पीछे जाते देखा था, संदिग्ध हो जाता है।

इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 2 राजेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हम सुबह उठे और शौच के लिये 4.30 बजे गये, ये लोग दो मोटरसाइकिल से अपने पश्चिम तरफ निकले और भदोही रामपुर मार्ग पर जा रहे थे। मोटरसाइकिल की लाइट नहीं जलाये थे। हमने टॉर्च मारकर देखा तो **तीन आदमी एक मोटरसाइकिल पर व दो आदमी एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पहले मोटरसाइकिल पर मेवालाल, राधेश्याम, अमरेश एक और मोटरसाइकिल पर मिठाईलाल व ओमप्रकाश बैठे थे।** जबकि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 रामराज ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सुबह 4.30 बजे भोर में शौच के लिये राजेन्द्र गये तो दो मोटरसाइकिल पर लाईट नहीं जल रही थी, टार्च चला कर देखा कि **एक गाड़ी पर मिठाईलाल, ओमप्रकाश, मेवालाल एक दूसरी गाड़ी पर उदल के साथ जा रहे थे**। इस साक्षी ने अभियुक्त अमरेश के बारे में कोई कथन अपने साक्ष्य में नहीं किया है।

साक्षी पी०डब्लू० 3 विनोद ने जिरह के दौरान पेज संख्या 11 पर कथन किया है कि मुझे घटना के बाबत कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मैंने सुनी सुनाई बात के आधार पर न्यायालय में बयान दिया था। मैं रपट लिखाने थाने पर नहीं गया था। रपट लिखाने की जानकारी मुझे बाद में हुई थी। दरोगा जी से मेरी मुलाकात दो दिन के बाद थाने पर हुई थी। अंत में साक्षी का कथन है कि यह सही है कि शीतला प्रसाद मृतक की हत्या अज्ञात परिस्थितियों में अज्ञात स्थान पर, अज्ञात लोगों द्वारा की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि वादी द्वारा उन्हें रंजिशन मुकदमें में फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी हितबद्ध साक्षी है। वे एक ही परिवार के सदस्य है। अभियोजन की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। जहां तक बचाव पक्ष की ओर से किये गये उक्त तर्क का प्रश्न है, उभयपक्ष के बीच पुरानी रंजिश है। एक क्रास केस में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा उभयपक्ष के लोगों को दिनांक 31.01.2025 को दोषसिद्ध किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सलंग्न है। रंजिश एक दो धारी तलवार है। इसका प्रयोग किसी भी तरफ से किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण सतर्कतापूर्वक किया जाना होता है। घटना खुले स्थान की कही जाती है। अभियोजन की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित न कराया जाना घटना को संदिग्ध बनाता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभियोजन की ओर से मृतक की पत्नी अथवा उनके बच्चों में किसी को भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। मृतक की पत्नी अथवा बच्चों को परीक्षित कराये जाने से यह तथ्य स्पष्ट हो पाता कि मृतक ने उस दिन कितने बजे खाना खाया था और कितने बजे वह घर से दुकान के लिये निकला था।

बचाव पक्ष की ओर से एक अन्य तर्क यह भी किया गया है कि अभियोजन की ओर से घटना का कोई स्पष्ट मोटिव दर्शित नहीं किया गया है। वादी द्वारा सम्बन्धित थाने में दिये गये प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में भी मेरे लड़के को बल्लम गड़ासे से मारा था। जहां तक उक्त तर्क का प्रश्न है, उक्त घटना वर्ष 2004 की है। उक्त घटना में बचाव पक्ष (अभियुक्तगण) की ओर से भी वादी पक्ष पर क्रास केस समान धाराओं में पंजीकृत कराया गया है। उक्त दोनों ही मामलों में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त घटना प्रस्तुत घटना का मोटिव होना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

Cr. A. No. 370/1980 Sakharam vs State of Madhya Pradesh के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि– Absence of motive may not be relevant in a case where the evidence is overwhelming but it is a plus–point for the accused in a case where the evidence against him is only circumstantial.

अभियोजन साक्षियों का यह भी कथन है कि सूचना प्राप्त होने पर मौके पर डॉग स्कवैड भी आया था। साक्षियों के कथानुसार कुत्ते ने आकर लाश को सूंघा, जहाँ खून गिरा था उसको सूंघा फिर कुत्ता मुल्जिमानों के सीधा घर पर 1.5 किमी० गया और कई घर छोड़ते हुए इन लोगों के पास पहुँच गया और इनारा पर चढ़कर घूमा फिर नीचे गिरा पानी सूंघकर उनके दरवाजे पर जाकर बैठ गया फिर कहीं नहीं गया तब हमको विश्वास हुआ कि यही पांचों लोग घटना किये थे। कुत्ते ने हल की हरीश को भी सूंघा था। ट्रैक रिपोर्ट कागज संख्या 16/6 दिनांकित 08.01.2012 पत्रावली में संलग्न है। ट्रैक रिपोर्ट के अनुसार कुत्ता घटनास्थल से करीब 1.5 कि०मी० दूर अभियुक्त मिठाई पुत्र महादेव यादव एवं अमरेश पुत्र महानन्द यादव के घर के बाहर दरवाजे के सामने स्थित कुएं के उत्तर–पश्चिम चबूतरे के पास पहुंच कर अपना ट्रैक समाप्त किया। कुँए पर अधिक पानी गिरने के कारण छिन्न–भिन्न हो गयी। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 विनोद ने जिरह के दौरान पेज संख्या 5 पर यह कथन किया है कि **आधी रात को कुँए पर मुल्जिमान को नहाते हुए मेरे छोटे भाई अनिल ने देखा था।** जहां तक अभियोजन की ओर से किये गये उक्त कथन का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से कथित साक्षी अनिल यादव को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। उल्लेखनीय है कि कुंआ खुले स्थान पर अभियुक्तगण के घर के बाहर दरवाजे के सामने स्थित है। जहां कुत्ते द्वारा अपना ट्रैक समाप्त किया गया है। कुँआ के खुले स्थान पर स्थित होने के कारण वहां पर किसी भी व्यक्ति का आना संभव है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कथित ट्रैक को श्वान दल प्रभारी मनोज कुमार यादव को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है जिससे बचाव पक्ष को उनसे जिरह का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। कथित ट्रैक रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष साबित भी नहीं कराया गया है।

In **Abdul Razak Murtaza Dafadar V. State of Maharashtra (1970)–** The Bombay High Court held that dog tracking evidence is a **corroborative nature only** and cannot be treated as substantive evidence.

It ruled that such evidence must be support by independent corroborative evidence to be admissible.

In **Ram Baran. v. State (1975 All LJ 1135)** The Allahabad High Court expressed **strong skepticism** asserting that sniffer dog tracking alone cannot form the basis of conviction.

In **Pattu Ranjan Vs. State of Tamil Nadu (2019)** The Supreme Court reiterated that dog tracking evidence has **limited evidentiary value** and should be used only for corroboration.

माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित उक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में प्रस्तुत मामले में अभियोजन को Dog tracking Report का कोई लाभ नहीं मिलता।

अभियोजन साक्षियों के अनुसार घटनास्थल पर हरिश जिस पर फाल नहीं लगा हुआ था, भी बरामद हुआ था जिसको कुत्ते ने सूंघा था परन्तु विवेचक द्वारा कथित हरिश की फर्द नहीं बनायी गयी है और न ही उसे न्यायालय के अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि केस डायरी के पर्चा संख्या 1 में इस तथ्य का उल्लेख है कि घटनास्थल से प्राप्त हल को कब्जा पुलिस में लेकर फर्द बरामदगी तैयार करते हुए सील कर सर्वमुहर कर नमूना मोहर बनाया गया।

साक्षी पी०डब्लू० 4 किरण कुमार सिंह (विवेचक) ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक 08.01.2012 को मैंने पर्चा 1 किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, व नकल

पंचायतनामा बयान वादी अंकित किया तथा घटनास्थल से खून आलूदा सादी मिट्टी बाजाफ्ता कब्जे में लिया गया था, जिसके पश्चात् घटना से सम्बन्धित आलाकत्ल का दूसरा भाग ग्राम धरोहरा स्थित राधेश्याम दूबे के घर के बगल से बरामद किया गया था। इस प्रकार इस साक्षी ने आलाकत्ल का दूसरा भाग ग्राम धरोहरा स्थित राधेश्याम दूबे के घर के बगल से बरामद होने का कथन किया है। जबकि साक्षी पी०डब्लू० 1 रामराज ने विवेचक के समक्ष दिये गये अपने मजीद बयान दिनांकित 13.03.2012 में यह कथन किया है कि हत्या के बाद अभियुक्तगण को मेरे पोते अनिल यादव ने अपने कुँए पर हाथ पैर धोते हुए देखा था, इन लोगों के द्वारा हल का फाल भी अपने दरवाजे के कुँए पर ही धोया गया था। जिसे अमरेश लेकर घर के अन्दर गया था। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है, यदि अमरेश फाल को लेकर घर के अन्दर गया था तो उसकी बरामदगी ग्राम धरोहरा स्थित राधेश्याम दूबे के घर के बगल से कैसे हुई। विवेचक द्वारा बरामदशुदा कथित फाल कि फर्द बरामदगी भी नहीं बनायी गयी है और न ही उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली में संलग्न मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–8 में मृतक की मृत्यु रक्तस्त्राव के फलस्वरूप शॉक व कोमा के कारण तथा सिर पर लगी मृत्यु पूर्व चोटों के कारण होना दर्शित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–8 को अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० आनन्द कुमार श्रीवास्तव ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया है।

बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने पर उक्त साक्षी का कथन है कि मृतक के सीने के ऊपर के भाग पर कुचला हुआ (Crush) था। सिर की हड्डियां कई टुकड़ों में थी। मैं उनकी संख्या इसलिए नहीं बता सकता कि कुचला घाव होने के कारण चेहरा व चेहरा का जबड़ा कई टुकड़ों में था। चेहरे की पहचान नहीं हो पा रहा थी। गला व कन्धा भी पूरा कुचल गया था। हड्डियां बिखरी व टूटी थी। भारी वाहन के पहिया के नीचे आने से मृतक को इस तरह की चोट आ सकती है। मृतक की चोटे एक्सीडेन्टल थी। लवारिश लाश के कारण शव को जंगली जानवर व कुत्ते खाये हुए थे और शव पर उनके खाने के निशान पाये गये थे।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 4 किरण कुमार सिंह (विवेचक) व पी०डब्लू० 6 आशुतोष घटना के औपचारिक साक्षी है। उनके द्वारा अभियोजन मात्र अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है। इनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता।

In a most celebrated case of Supreme Court reported in **1984 (4) SCC 116** Sharad Birdhichand Sarda Vs. State of Maharashtra-

Some cardinal principles regarding the appreciation of circumstantial evidence have been postulated. Whenever the case is based on circumstantial evidence following features are required to be complied with. which are as under:-

(i) The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn must or should be and not merely 'may be' fully established,

(ii) The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(iii) The circumstances should be of a conclusive nature and tendency,

(iv) They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(v) There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused".

प्रस्तुत मामले में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। वादी व अभियुक्तगण के बीच पुरानी रंजिश विद्यमान है। यह तथ्य उभयपक्ष को स्वीकार है। क्रास केस मु०अ०सं० 377/2004 विरूद्ध मिठाई यादव और अन्य अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०, , मु०अ०सं० 377ए/2004 विरूद्ध रामराज प्रसाद आदि थाना भदोही तथा जिला भदोही **दोनों मामलों में** न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही ज्ञानपुर के द्वारा दिनांक 31.01.2025 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्रावली में दाखिल है। अभियोजन साक्षियों की ओर से कई स्थानों पर परस्पर विरोधाभाषी कथन न्यायालय के समक्ष किये गये है। प्रस्तुत मामले में परिस्थितियां Conclusive nature and tendency की नहीं है और न ही परिस्थितियां, जिनसे दोषसिद्धि साबित हो पूर्णतया Established है।

उक्त परिस्थितियों में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं होती। अतः अभियुक्तगण मिठाईलाल, डी.एम. उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश व ऊदल उर्फ राधेश्याम धारा 302/149 भा०दं०सं० से संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण मिठाईलाल, डी.एम. उर्फ ओमप्रकाश, मेवालाल, अमरेश व ऊदल उर्फ राधेश्याम को सत्र परीक्षण संख्या 331/2012 (मु०अ०सं० 17/2012) थाना रामपुर, जिला जौनपुर के मामले में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302/149 भा०द०सं० से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक–06.04.2026

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जौनपुर।
जे०ओ० कोड – यू०पी० 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–06.04.2026

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जौनपुर।
जे०ओ० कोड – यू०पी० 6112